संख्या:-1317 /सत्तर-1-2024-1191/2023

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
समस्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक:08 अक्टूबर, 2024**

विषय:- प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रायोजक निकायों को प्रोत्साहित करने के लिये 'उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024' (Uttar Pradesh Higher Education Incentive Policy 2024) लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिये प्रायोजक निकायों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024' (Uttar Pradesh Higher Education Incentive Policy 2024) लागू की गयी है।

2- अत: 'उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024' (Uttar Pradesh Higher Education Incentive Policy 2024) की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से यथावश्यक आदेश निर्गत करते हुए अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त

भवदीय

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव

संख्या:-1317 (1)/सत्तर-1-2024-1191/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नीति का प्रचार एवं प्रसार कराने का कष्ट करें।
4- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नीति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5- सी0ई0ओ0 इंवेस्ट यू0पी0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित निवेशकों के मध्य उक्त नीति का प्रचार एवं प्रसार कराने का कष्ट करें।
6- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धितों को उक्त नीति को परिचालित करने एवं परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
9- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

11- निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
12- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
13- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
14- समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15- डेलाइट इंडिया।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024

1. नीति की आवश्यकता और संदर्भ

1.1 जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा प्रणाली की ओर बढने के लिये वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक जिले में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो, जिसमें बडे, बहुविषयक विश्वविद्यालय और कालेज शामिल हो।

1.2 उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित जिलों (जिन जिलों में कोई सरकारी या निजी विश्वविद्यालय नहीं है) में उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने की इस आवश्यकता को समझते हुए नए निजी विश्वविद्यालयों के लिए यह उच्च शिक्षा प्रोत्साहन, 2024 नीति तैयार की है। इस नीति में असेवित जिलों एवं आकांक्षी जिलों में प्रोत्साहन के अलावा, विदेशी विश्वविद्यालयों और शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालयों (निजी विश्वविद्यालयों) के लिए विशेष प्रोत्साहन भी शामिल हैं।

1.3 इस नीति से राज्य को अनेक लाभ होंगे:

1.3.1 प्रथमत:, इस तरह के निजी निवेश राज्य में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने में सरकार के प्रयासों को पूरक बना सकते हैं। इससे छात्रों के लिए उपलब्ध संस्थानों, पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, जिससे अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं अनुसंधान करने के अवसर उपलब्ध होंगे।

1.3.2 दूसरा, निजी निवेश शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, क्योंकि निजी संस्थान बाजार की मांगों के प्रति अधिक त्वरित और अधिक उत्तरदायी हो सकते हैं। इससे स्नातकों के लिए बेहतर रोजगार परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता मजबूत होगी।

1.3.3 तीसरा, इससे परिणामत: उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) में भी वृद्धि होगी।

1.3.4 चौथा, इसमें युवाओं को राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करके प्रतिभा पलायन कम करने की क्षमता है।

1.3.5 पांचवा, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नीति उत्तर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने में मदद करेगी।

1.3.6 अंत में, प्रदेश के युवाओं के लिये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा।

2. नीति का दृष्टिकोण

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिदृश्य में गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और समावेशिता को बढ़ाना है, जिससे युवाओं को अपनी पूर्ण क्षमता का

उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

3. उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024 के उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देना है:

i. वंचित जिलों में उच्च गुणवत्ता वाले निजी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करना।

ii. दुनिया भर से विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करना।

iii. शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को आकर्षित करना।

4. वित्तीय प्रोत्साहन

4.1 पात्रता एवं परिभाषाएँ

4.1.1 वित्तीय लाभ सामान्यतः उत्तर प्रदेश के किसी असेवित जनपद में स्थापित केवल प्रथम निजी विश्वविद्यालय के साथ-साथ विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों और एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदेश में कही भी विश्वविद्यालय स्थापना पर लाभ भी मिलेगा।

4.1.2 निजी विश्वविद्यालयों की परिभाषा वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में है।

4.1.3 असेवित जिले उन जिलों को कहते हैं जिनमें पहले से स्थापित कोई **MERU** विश्वविद्यालय नहीं है।

4.1.4 **MERU** विश्वविद्यालय, एन.ई.पी. **2020** में परिभाषित बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों को संदर्भित करता है।

4.1.5 प्रभावी तिथि का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा घोषित उस तिथि से है जिस तिथि से यह नीति प्रभावी होगी।

4.1.6 प्रभावी अवधि का तात्पर्य प्रभावी तिथि से लेकर उस अवधि तक की अवधि से है, जिसके लिए यह नीति लागू रहती है (**5** वर्ष तक और राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश के अधीन **5** वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है) या जब तक राज्य सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन या निरसन नहीं किया जाता है।

4.1.7 पात्र संस्थान से तात्पर्य ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान से है, जिसने ऊपर परिभाषित प्रभावी तिथि के बाद एवं नीति की प्रभावी अवधि के भीतर आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) के लिए आवेदन किया है।

4.1.8 यह लाभ केवल उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के मुख्य परिसरों पर ही लागू होंगे, परिसर दूरस्थ केंद्रों पर नहीं।

4.1.9 कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान इसी तरह के लाभों के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे यूजीसी द्वारा अधिसूचना एफ. संख्या 1-1/2023 (आईसी-एफएचईआई) के अनुसार निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करें। केवल पहले 5 (पांच) विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान जिन्हें आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया गया है, वे भी नीचे उल्लिखित लाभों का

लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

4.1.10 एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाले विश्वविद्यालय: सबसे नवीनत रैंकिंग सूची में शीर्ष 50 में एनआईआरएफ रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय और MERU, यानी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (जैसा कि एनईपी 2020 में परिभाषित किया गया है) की स्थापना करने वाले विश्वविद्यालय भी नीचे उल्लिखित लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

4.2 <u>प्रस्तावित प्रोत्साहन</u>

अधिकतम निवेश आकर्षित करने और राज्य के असेवित जिलों में छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के लिए, नीति में निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन और केवल आगामी निजी विश्वविद्यालयों के लिए सब्सिडी का विस्तार किया जाएगा:-

4.2.1 <u>प्रस्तावित प्रोत्साहन की सूची</u>

1. स्टाम्प ड्यूटी छूट
2. पूंजीगत अनुदान
3. प्रथम 5 विदेशी संस्थानों के लिए विशेष प्रोत्साहन
4. एन.आई.आर.एफ. शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए विशेष प्रोत्साहन

4.3 <u>प्रोत्साहन का विवरण</u>

4.3.1 <u>स्टाम्प ड्यूटी छूट</u>

क. स्टाम्प ड्यूटी में छूट ऐसे जनपद के पहले MERU विश्वविद्यालयों अर्थात् बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (जैसा कि NEP 2020 में परिभाषित किया गया है) को प्रदान की जाएगी, जो अब तक असेवित है। भूमि की लागत (पूंजी निवेश के एक हिस्से के रूप में) की सीमा नीचे दी गई है:

क्रम	**भूमि की लागत (रुपये में)**	**स्टाम्प ड्यूटी छूट (%)**
1	50 करोड़ तक	50%
2	50 करोड़ से 150 करोड़	30%
3	150 करोड़ से अधिक	20%

ख. स्टाम्प ड्यूटी छूट के लिए भूमि के पंजीकृत दस्तावेज़ के अनुसार वास्तविक खरीद मूल्य को परियोजना के लिए भूमि की लागत माना जाएगा (स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को छोड़कर)। यदि भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDA) या किसी अन्य राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा आवंटित की जाती है, तो भुगतान की गई वास्तविक आवंटन कीमत को भूमि की लागत (स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क को

छोड़कर) माना जाएगा।

ग. ऊपर उल्लिखित निवेश ब्रैकेट के अनुसार निवेश की गई कोई भी राशि स्टाम्प शुल्क में क्रमिक छूट के अधीन होगी।

घ. उदाहरण के लिए, किसी विश्वविद्यालय की भूमि की कीमत 75 करोड़ रुपये है, तो स्टाम्प शुल्क छूट की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:

- प्रचलित स्टाम्प शुल्क दर = भूमि की लागत का 7%
- पहले 50 करोड़ (रुपये) निर्माण लागत पर स्टाम्प शुल्क छूट = भूमि की लागत x स्टाम्प शुल्क छूट % x प्रचलित स्टाम्प शुल्क दर = 50 x 50% x7% = 1.75 करोड़ (रुपये)
- अगले 25 करोड़ निर्माण लागत पर स्टाम्प शुल्क छूट =25 X30%X7% = 52.5 लाख (रूपये)
- कुल स्टाम्प ड्यूटी छूट = 1.75 करोड़ + 52.5 लाख = 2.275 करोड़ (रुपये)

ड. यदि पहला MERU विश्वविद्यालय, यानी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (जैसा कि एनईपी 2020 में परिभाषित किया गया है) राज्य के किसी ऐसे आकांक्षी जिले में स्थापित किया जाता है, जो अद्यतन असेवित है, तो भूमि में निवेश की श्रेणी और सीमा को संज्ञान में लिये बिना उन्हें 100% स्टांप शुल्क छूट प्रदान की जा सकती है।

च. परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों से स्टाम्प ड्यूटी छूट के बराबर बैंक गारंटी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाएगी। बैंक गारंटी की वैधता अवधि 05 वर्ष होगी। यह गारंटी परियोजना के लिए संचालन प्राधिकार पत्र (एल.ओ.पी.) दिए जाने के बाद वापस कर दी जाएगी। भूमि के निबंधन की तिथि से 05 वर्ष की अवधि में MERU विश्वविद्यालय को संचालन प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा। अन्यथा बैंक गारंटी को भुनाकर धनराशि को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा उपयुक्त लेखाशीर्षक में जमा कर लिया जायेगा।

4.3.2 <u>कैपिटल सब्सिडी/पूंजीगत अनुदान</u>

क. कैपिटल सब्सिडी पहले MERU विश्वविद्यालय, यानी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (जैसा कि एनईपी 2020 में परिभाषित किया गया है) को प्रदान की जाएगी, जो किसी ऐसे जिले में स्थापित किया जाएगा जो अब तक असेवित हैं।

ख. पूंजी निवेश के लिए, केवल शैक्षिक संस्थान द्वारा वहन की जाने वाली निम्नलिखित लागत पर विचार किया जाएगा –

1) **भवन–** भवन का तात्पर्य परियोजना के लिए निर्मित नये भवन से है, जिसमें प्रशासनिक भवन तथा छात्रावास/छात्रावास, पुस्तकालय, कक्षा-कक्ष/प्रयोगशाला से संबंधित भवन शामिल हैं।

2) **अन्य निर्माण**-अन्य निर्माण से तात्पर्य है परिसर की दीवार और गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, पानी की टंकी, पानी और गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क और अन्य संबंधित निर्माण।

3) **बुनियादी सुविधाएं**-बुनियादी सुविधाओं से तात्पर्य ऐसी नई सड़कें, सीवर लाइन, जल निकासी, बिजली लाइन जैसी बुनियादी सुविधाओं से है, जो उपक्रम के परिसर को मुख्य बुनियादी ढांचे की ट्रंक लाइनों से जोड़ती हैं। उपरोक्त के अलावा, अपशिष्ट उपचार संयंत्र और सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना पर भी विचार किया जाएगा।

क्रम	**पात्र पूंजी निवेश (रूपये)**	**कैपिटल सब्सिडी**	**सब्सिडी की सीमा (रूपये)**	**प्रोत्साहन संवितरण अवधि**
1	50 करोड़ तक	15%	7 करोड	संचालन प्राधिकार पत्र (एल.ओ.पी.) जारी होने के बाद 5 वर्षों में 5 वार्षिक किस्तों में शुरू किया जाएगा
2	50 करोड़ से 150 करोड़	16%	21 करोड	
3	150 करोड़ से अधिक	17%	35 करोड	

ग. ऊपर उल्लिखित निवेश ब्रैकेट के अनुसार निवेश की गई कोई भी राशि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकनकर्ता द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के बाद पूंजी सब्सिडी में प्रगतिशील छूट के अधीन होगी।

उदाहरण के लिए, यदि किसी विश्वविद्यालय का पूंजी निवेश 75 करोड़ रुपये है, तो पूंजी सब्सिडी की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी:-

- पहले 50 करोड़ निवेश तक सब्सिडी = 50 x 15% = 7.5 करोड़ (रुपये); हालाँकि, चूंकि सब्सिडी की अधिकतम सीमा 7 करोड़(रुपये) है, इसलिए पहले 50 करोड़(रुपये) निवेश तक सब्सिडी = 7 करोड़(रुपये)
- अगले 25 करोड़ निवेश के लिए सब्सिडी = 25 x 16% = 4 करोड़ (रुपये)
- कुल सब्सिडी = 7 करोड़ (सब्सिडी सीमा) + 4 करोड़ = 11 करोड़ (रुपये)

घ. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत की जानी है तथा आशय-पत्र (एलओआई) जारी होने के 5 वर्षों के भीतर डीपीआर के अनुसार चिन्हित एवं पूर्ण किए गए सभी निर्माण कार्यों को पूंजीगत सब्सिडी में शामिल किया जाएगा।

ड. यदि पहला MERU विश्वविद्यालय, यानी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (जैसा कि एनईपी 2020 में परिभाषित किया गया है) राज्य के किसी आकांक्षी जिले में स्थापित किया जाता है, जो अब तक असेवित हैं, तो निवेश की श्रेणी और सीमा को संज्ञान में लिये बिना उन्हें 20% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जा सकती है, जिसकी कुल सीमा

50 करोड़ (रुपये) होगी।

4.3.3 <u>प्रथम 5 विदेशी संस्थानों के लिए विशेष प्रोत्साहन</u>

राज्य के किसी भी जिले में स्थापित पहले 5 MERU विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान (एफएचईआई), यानी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एनईपी 2020 में परिभाषित), बशर्ते वे अधिसूचना एफ. संख्या 1-1/2023 (आईसी-एफएचईआई) के माध्यम से यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों जिसमें निम्न मानदंड भी सम्मिलित हैं, को पूरा करते हो :

I. आवेदन के समय पर, यू0जी0सी द्वारा समय-सयम पर निर्धारित वैश्विक रैंकिग की समग्र श्रेणी में शीर्षस्थ 500 संस्थाओं के भीतर स्थान प्राप्त किया हो, अथवा

II. आवेदन के समय पर, वैश्विक रैंकिग की विषयवार श्रेणी में शीर्षस्थ 500 संस्थाओं के भीतर स्थान प्राप्त किया हो अथवा यू0जी0सी0 द्वारा समय-समय पर यथा निर्णीत किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्राप्त की हो,

निम्नलिखित लाभों के लिए पात्र होंगे:-

क. भूमि में निवेश की श्रेणी और सीमा को संज्ञान में लिये बिना उन्हें 100% स्टाम्प शुल्क छूट प्रदान की जा सकती है।

ख. निवेश की श्रेणी और सीमा को संज्ञान में लिये बिना उन्हें **20%** पूंजीगत अुनदान प्रदान की जा सकती है, जिसकी कुल सीमा **100** करोड़ रुपये होगी।

4.3.4 <u>एन.आई.आर.एफ. रैंकिंग में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाले विश्वविद्यालयों को विशेष प्रोत्साहन</u>

नवीनतम रैंकिंग सूची में शीर्ष 50 में एनआईआरएफ रैंकिंग रखने वाला विश्वविद्यालय और राज्य के किसी भी जिले में MERU विश्वविद्यालय, यानी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एनईपी 2020 में परिभाषित) स्थापित करने वाले विश्वविद्यालय निम्नलिखित लाभों के लिए पात्र होंगे -

क. भूमि में निवेश की श्रेणी और सीमा को संज्ञान में लिये बिना उन्हें 100% स्टाम्प शुल्क छूट प्रदान की जा सकती है।

ख. निवेश की श्रेणी और सीमा को संज्ञान में लिये बिना उन्हें 20% पूंजीगत अनुदान प्रदान की जा सकती है, जिसकी कुल सीमा 100 करोड़ रुपये होगी।

5. नीति का कार्यान्वयन

I. यह नीति अधिसूचना की तिथि से लागू होगी और 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।

II. उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहनों की स्वीकृति और वितरण के लिए नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगी।

Uttar Pradesh Higher Education Incentive Policy 2024

1. Need and Context of the policy

1.1 As articulated in the National Education Policy2020, a key change in the current education system requires *moving towards a higher educational system consisting of large, multidisciplinary universities and colleges, with at least one in every district.*

1.2 The Government of Uttar Pradesh, recognizing this need to increase access to Higher Education in unserved districts (districts without any government or private university), has formulated this Uttar Pradesh Higher Education Incentive policy 2024 for new private universities. This policy also includes special incentives for new private universities in aspirational districts, foreign universities and top ranked Indian universities.

1.3 <u>This policy will bring multiple benefits to the State:</u>

1.3.1 Firstly, such private investments can supplement the efforts of the Government in expanding access to Higher Education, given the growing demand for Higher Education in the State. It can increase the number of institutions, courses, and seats available to students, thereby enabling more students to avail opportunity of higher education and research.

1.3.2 Secondly, private investment can enhance the quality of Education, as private institutions can be quicker and more responsive towards market demands. This can result in better employment outcomes for graduates, thereby strengthening Uttar Pradesh's capacity to compete globally.

1.3.3 Thirdly, it will also result in increasing the Gross Enrolment Ratio (GER) in Higher Education.

1.3.4 Fourthly, it has a potential to reduce the brain drain from the state by providing option to the youth to avail quality higher education in the state.

1.3.5 Fifthly, and most importantly, this policy will help in boosting UP's socio-economic development towards $1 trillion.

1.3.6 Finally, the policy would lead to the creation of employment for the youth of the state both directly and indirectly

2. Vision of the policy

The vision of the Uttar Pradesh Higher Education Incentive policy 2024 is to enhance the quality, competitiveness and inclusivity of higher education landscape in Uttar Pradesh that enables the youth to meet their full potential.

3. Objectives of the Uttar Pradesh Higher Education Incentive policy 2024

This policy aims to promote the establishment of high-quality Higher Education institutions

in Uttar Pradesh to meet the following objectives:

i. Attract high-quality private universities in the unserved districts
ii. Attract foreign universities from around the world
iii. Attract top ranked Indian universities

4. Financial Incentives

4.1 Eligibility and Definitions

4.1.1 Financial benefits are applicable, in general, only to the first Private University that shall establish a university in an unserved district of Uttar Pradesh and also to Foreign higher education institutes and Universities ranking in top 50 of NIRF Ranking establishing a university in any district of the state.

4.1.2 The definition of Private Universities will be same as per "The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019".

4.1.3 **Unserved districts** refer to districts which have no MERU university.

4.1.4 **MERU University** refer to Multidisciplinary Education and Research Universities as defined in NEP 2020.

4.1.5 **Effective Date** means the date as declared by the State Government of Uttar Pradesh from which this Policy becomes effective.

4.1.6 **Effective Period** means the period starting from the Effective Date till the period for which this Policy remains in force (up to 5 years and extendable further by 5 years subject to such order passed by the State Government) or until any amendment or repeal thereof by the State Government.

4.1.7 **Eligible Institute** refers to Higher Education Institute who have applied for LOI after the **Effective Date** defined above and **within** the **Effective Period** of policy.

4.1.8 Benefits are only applicable to main campus of universities in Uttar Pradesh and not off campus centers.

4.1.9 **Foreign higher education institutes** willing to setup campus would be eligible for similar benefits provided they meet the requirements as laid out by UGC as per notification F. No. 1-1/2023(IC-FHEI). Only the first 5 (five) foreign higher education institutes who have been issued LOI would be eligible to avail the benefits outlined below.

4.1.10 **Universities ranking in top 50 of NIRF Ranking:** Universities having NIRF ranking within top 50 of the most recent ranking list and setting up a MERU, i.e., Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020)would be eligible to avail the benefits outlined below.

4.2 Proposed Incentives

To attract maximum investment and improve access to education for students in unserved districts in the State, the policy will extend following financial incentives, and subsidies for Upcoming Private Universities only.

4.2.1 List of Incentives

1. Stamp Duty Exemption
2. Capital Subsidy
3. Special Incentive for first 5 Foreign Institutes
4. Special Incentive for NIRF Top Ranked Indian Universities

4.3 Details of Incentives

4.3.1 Stamp Duty Exemption

a. Stamp duty exemption to be provided to first MERU, i.e., Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020) established in a district hitherto not covered by one. The range forcost of land (as a part of capital investment) is provided below:

S.no.	Cost of Land (INR)	Stamp Duty Exemption %
1	Up to 50 Crores	50%
2	50 Crore to 150 Crore	30%
3	More than 150 Crore	20%

b. For Stamp Duty Exemption the actual purchase price as per the registered document of the land shall be considered as the cost of land for the project (excluding Stamp duty & registration charges). In case, the land is allotted by U.P. State Industrial Development Corporation (UPSIDA) or any other State Govt Agency, the actual allotment price paid shall be considered as the cost of land (excluding Stamp duty & registration charges).

c. Any amount invested as per the investment brackets mentioned above shall be subjected to progressive exemption in stamp duty.

d. As an example, for a university which has a cost of land of INR 75 Crore, stamp duty exemption will be calculated in the following manner:

- Prevailing stamp duty rate = 7% of cost of land
- Stamp duty exemption on first 50 crore (INR) construction cost = Cost of land x stamp duty exemption % x Prevailing stamp duty rate = 50 x 50% x7% = 1.75 crore (INR)
- Stamp duty exemption on next25 crore construction cost =25 X30%X 7% = 52.5 lakh (INR)
- Total stamp duty exemption = 1.75 crore + 52.5lakh = 2.275crore (INR)

e. If the first MERU, i.e., Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020) is established in an Aspirational district of the State hitherto

not covered by one, 100% stamp duty exemption may be provided to them irrespective of the category and range of investment in land

f. In order to ensure time bound completion of projects, the Higher Education Institutes would be expected to provide a Bank Guarantee equivalent to the stamp duty exemption. The Bank Guarantee shall be valid for 05 years. It shall be returned after Letter of Permission (LOP) is granted for the project. MERU University will have to obtain the LoP within 5 years from the date of registration of the land. Otherwise, the amount will be encashed by the bank guarantee and deposited in the appropriate head by the Tax and Registration Department.

4.3.2 Capital Subsidy

a. Capital Subsidy to be provided to first MERU, i.e., Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020) established in a district hitherto not covered by one.

b. For Capital Investment, only the following cost borne by the Educational Institute would be considered –

1) Building – Building means a new building constructed for the project, including administrative building and building related to Hostel/ Dormitory, library, classrooms / labs.

2) Other construction – Other construction means construction such as compound wall and gates, security cabins, internal roads, bore well, water tank, internal pipeline network for water and gas, and other related constructions.

3) Infrastructure facilities –Infrastructure facilities means such new roads, sewer lines, water drainage, power lines infrastructure, which link the undertaking's premises with the main infrastructure trunk lines. Apart from the above, installation of Effluent Treatment Plant and sewage treatment plant will also be considered.

S.No.	Eligible Capital Investment (INR)	Capital Subsidy	Subsidy Ceiling (INR)	Incentive Disbursal Period
1	Up to 50 Crores	15%	7 Crore	To commence post issuance of LOP, over 5 years in 5 annual instalments
2	50 Crore to 150 Crore	16%	21 Crore	
3	More than 150 Crore	17%	35 Crore	

c. Any amount invested as per the investment brackets mentioned above shall be subject to progressive exemption in capital subsidy after the evaluation of Detailed Project Report by a independent third party evaluator as appointed by the Higher education Department.

As an example, for a university which has a capital investment of INR 75 Crore, the capital subsidy will be calculated in the following manner:

- Subsidy up to first 50 crore investment = 50 X 15% = 7.5 crore (INR); however, since subsidy ceiling is 7 Crore, the subsidy up to first 50 crore investment = 7 crore
- Subsidy for next 25 crore investment =25 X 16% = 4 crore (INR)
- Total Subsidy = 7 crore (Subsidy Ceiling) + 4 crore = 11 crore (INR)

d. The Detailed Project Report (DPR) is to be submitted to the Higher Education Department at the time of accepting LOI and all construction earmarked and completed as part of DPR within 5 years of issuance of LOI will be considered in capital subsidy.

e. If the first MERU, i.e., Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020) is established in an Aspirational District of the State hitherto not covered by one, 20% Capital Subsidy may be provided to them irrespective of the category and range of investment, total ceiling of 50 cr. (INR).

4.3.3 Special Incentive for first 5 Foreign Institutes

First 5 MERU Foreign Higher Education Institutes (FHEI), i.e., Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020) established in any district of the state, provided they meet guidelines laid out by UGC through notification F. No. 1-1/2023(IC-FHEI) including the criteria of :

i. it should have secured a position within the top five hundred in the overall category of global rankings at the time of application, as decided by the UGC from time to time; or

ii. it should have secured a position within the top five hundred in the subject-wise category of global rankings at the time of application or should possess outstanding expertise in a particular area, as decided by the UGC from time to time,

will be eligible for following benefits-

a. 100% stamp duty exemption may be provided to them irrespective of the category and range of investment in land

b. 20% Capital Subsidy may be provided to them irrespective of the category and range of investment, total ceiling of 100 cr. (INR)

4.3.4 Special Incentive for Universities ranking in top 50 of NIRF Ranking

University having NIRF ranking within top 50 of the most recent ranking list and setting up a MERU Institute, i.e., Multidisciplinary Educational and Research University (as defined in NEP 2020) established in any district of the state will be eligible for following benefits -

a. 100% stamp duty exemption may be provided to them irrespective of the category and range of investment in land.

b. 20% Capital Subsidy may be provided to them irrespective of the category and range of investment, total ceiling of 100 cr. (INR)

5. Policy Implementation

i. This policy will come into effect on the date of its notification and will remain in force for a period of 5 years.

ii. Uttar Pradesh State Higher Education Council (Parishad) shall act as the Nodal Agency for sanction and disbursement of the incentives mentioned in this policy.